कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

सांख्यिकी शाखा

(116

संचिका संख्याः– मो०–47 / 15(सांख्यिकी) 3748 कृ०,पटना दिनांक 08 अगस्त, 2015

प्रेषक,

बी० कार्तिकेय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय : **खरीफ 2015 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2015–16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु संशोधित क्रियान्वयन अनुदेश।**

प्रसंग : विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 3697, 3698, 3699 दिनांक 05.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा डीजल अनुदान की स्वीकृति दी गई है। खरीफ 2015 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2015–16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु संशोधित क्रियान्वयन अनुदेश उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि अनुदेश के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का कार्य सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

08/8

(बी० कार्तिकेय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3748 दिनांक : 08-08-2015

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी संयुक्त कृषि निदेशक(परिक्षेत्र) एवं सभी जिला नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/8

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3748 दिनांक : 08-08-2015

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने / आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/8

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

विषयः– **खरीफ 2015 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2015–16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु संशोधित क्रियान्वयन अनुदेश।**

1. राज्य में खरीफ मौसम में धान एवं मक्का की खेती प्रमुखता से की जाती है। चालू खरीफ मौसम में 34 लाख हेक्टेयर में धान, 3.40 लाख हेक्टेयर में धान बिचड़ा तथा 4.75 लाख हेक्टेयर में मक्का आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ मौसम में अनियमित मॉनसून के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में भरपूर उत्पादन के लिए सिंचाई हेतु डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना से संबंधित कार्यक्रम स्वीकृत किया जा रहा है। चालू खरीफ मौसम में धान का बीज गिराने, बीजस्थली में बिचड़ा को बचाने, बिचड़ा को मुख्य खेत में रोपने तथा रोपे गए खड़े फसल की सिंचाई करने एवं मक्का की सिंचाई करने के लिए डीजल अनुदान का उपयोग किया जा सकता है। किसी अन्य फसल यथा सब्जी आदि की सिंचाई की आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा स्वीकृत राशि की सीमा में सिंचाई हेतु डीजल अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

2. एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुमान के अनुसार 30 रूपया प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 300 रूपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है। एक किसान को एक ही खेत के लिए अधिकतम 5 सिंचाई हेतु 1500 रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान का भुगतान किया जा सकता है। धान के लिए 5 सिंचाई, धान विचड़ा के लिए 2 सिंचाई, मक्का के लिए 5 सिंचाई एवं अन्य खरीफ फसलों के लिए 5 सिंचाई हेतु डीजल अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है।

3. यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देय होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी देय होगा। नवार्ड फेज 8 में निर्मित राजकीय नलकूप जो किसानों/किसान समितियों के द्वारा परिचालित किए जाते है उनके द्वारा भी डीजल क्रय कर सिंचाई करने पर अनुदान का लाभ दिया जा सकता है।

4. उक्त फसलों के सिंचाई के लिए 30 अक्टुबर, 2015 तक डीजल क्रय करने पर यह अनुदान देय होगा। 15 नवम्बर तक सभी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/ अनिवार्य रूप से सभी किसानों के सत्यापित दावे प्रखंड को उपलब्ध करा देंगे। प्रखंड द्वारा तुरंत आवश्यक राशि की निकासी की जायेगी। 30 नवम्बर तक सभी दावे का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

5. डीजल अनुदान भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगीः–

- वर्षापात की स्थिति एवं सिंचाई हेतु डीजल अनुदान वितरण की आवश्यकता का आकलन कृषि टास्क फोर्स की बैठक में करने के पश्चात जिला पदाधिकारी डीजल अनुदान वितरण कराने का निर्णय ले सकेंगे।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत विशेष के लिए आवेदन प्राप्त करने/सिंचाई के सत्यापन करने हेतु पंचायत सेवक/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार में से किसी एक को प्राधिकृत किया जायेगा।